मध्यप्रदेश शासन
वित्त-विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्र. 5727/R-954/16/4-1/412 भोपाल, दिनांक 25/5/2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय:-''असफल ई-भुगतान'' बाबत्।

संदर्भः-म.प्र.शा. वित्त विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. एफ 1-11/2010/नियम/चार,भोपाल दि.16.09.2010

---0---

वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 से शासकीय देयकों के आहरण हेतु ''ई-भुगतान'' प्रारंभ किया गया है। उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से राशि रू. 1000/- से अधिक के लिए ''ई-भुगतान'' अनिवार्य किया गया था।

भारतीय स्टेट बैंक के साथ हुए अनुबंध दिनांक 17.01.2011 के अनुसार, गलत बैंक विवरण दर्ज होने के कारण ई-भुगतान असफल होने पर संबंधित बैंक द्वारा हितग्राही/ डी.डी.ओ. के नाम से बैंकर्स चैक जारी किये जाते है।

म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना दिनांक 26.11.15 द्वारा MPTC-I के परिशिष्ट-25 एवं 26 द्वारा उपरोक्त प्रकिया में संशोधन किया गया है। नवीन प्रकिया के अनुसार, ''अब ई-भुगतान असफल होने पर बैंक द्वारा बैंकर्स चैंक जारी नहीं किये जाएगें। इसके स्थान पर किसी कार्य दिवस पर प्राप्त असफल भुगतानों की राशियों को उसी दिन लोक लेखा निक्षेप जमा शीर्ष 8443-101-0120-असफल ई-संव्यवहार में चालान के माध्यम से जमा किया जायेगा।

चालान एवं असफल ई-भुगतान की मेपिंग रहेगी। ऐसे सभी जमा चालानों का विवरण इलेक्ट्रानिक माध्यम से बैंक कोषालय को उपलब्ध कराएगा, जिसे कोषालय अधिकारी द्वारा कोषालयीन लॉगिन पर साफ्टवेयर में अपलोड किया जावेगा।

आहरण एवं संवितरण अधिकारी ऐसे सभी असफल संव्यवहारों का सत्यापन तथा असफल संव्यवहारों के बैंक खाते के विवरण को अद्यतन करेगा तथा उसी रीति/प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए पुनर्भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत करेगा जैसा कि निक्षेपों के विरूद्ध भुगतान के लिए किया जाता है। किसी भी स्थिति में एक वेण्डर से संबंधित असफल भुगतान की राशि का भुगतान अन्य वेण्डर के खाते में या अन्य किसी शासकीय खाते में नहीं किया जा सकेगा।

उक्त प्रक्रिया को क्रियान्वित करने हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन एवं अनुवर्ती कार्यवाही आयुक्त कोष को अधिकृत किया जाता है।

सचिव,
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 578/R-954/16/ब-1/चार
भोपाल, दिनांक 25/5/2016

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी (प्रथम),ग्वालियर, म.प्र.।
2. आयुक्त कोष एवं लेखा की ओर C-SFMS एवं बैंक सॉफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार संशोधन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, म.प्र.शासन।
4. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र.।
5. क्षेत्रीय प्रबंधक/उप महाप्रबंधक (शासकीय व्यवसाय) एस.बी.आई भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, म.प्र.।
7. समस्त नोडल अधिकारी म.प्र. की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ।

अवर सचिव,
म.प्र.शासन, वित्त विभाग